

प्रेषक,

प्रवीर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र०शासन।

सेवा में,

(1) महानिदेशक,
परिवार कल्याण,
उ०प्र० लखनऊ।

(2) महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ०प्र० लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-10

लखनऊ : दिनांक 02.12.2013

विषय:-स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष/महिला) को स्वास्थ्य सहायको की भॉति वर्ष 1991 से प्रोन्नत वेतनमान के रूप में रूपये 1400-2600 दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 888/5-10-12-डब्लू-55/08 टी०सी०, दिनांक 27 जुलाई, 2012 में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 27 जुलाई, 2012 के प्रस्तर-2 के नीचे प्रस्तर-3 निम्नवत् पढ़ा जाए:-

3- उपरोक्त व्यवस्था विशेष परिस्थिति में अपवाद स्वरूप की जा रही है, जिसे चिकित्सा विभाग तथा अन्य विभागों में दृष्टांत नहीं माना जायेगा।

2- शासनादेश दिनांक 27 जुलाई, 2012 इस सीमा तक संशोधित समझा एवं पढ़ा जाए। शासनादेश की शेष प्राविधान यथावत रहेंगे।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-वे०आ०-1-994/दस-2013 दिनांक 20.12.13 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(प्रवीर कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 1296(1)/5-10-13-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 2- समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- 3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र० लखनऊ।
- 4- वित्त नियंत्रक, परिवार कल्याण, उ०प्र० लखनऊ।
- 5- समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र०/समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ०प्र०/समस्त कोषाधिकारी, उ०प्र० द्वारा महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ०प्र० लखनऊ।
- 6- वित्त वेतन आयोग अनुभाग-1/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
- 7- चिकित्सा अनुभाग-5/9
- 8- गार्ड फाईल।समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ०प्र०

आज्ञा से,

(मुहम्मद शाहिद)
अनु सचिव